UPKS010026232025

<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी.एक्ट, कौशाम्बी।</u>

परिवाद संख्या-179/2025

रामसखी बनाम मथुरा।

<u>दिनांक-23.07.2026</u>

01. पत्रावली आदेशार्थ नियत है। बहस तलबी पर परिवादिनी व विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व नियत तिथि पर सुना जा चुका है।

02. संक्षेप में परिवादिनी का कथन है कि प्रार्थिनी/परिवादिनी का पुत्र अरूण कुमार, उम्र 16 वर्ष दिनांक 14.03.2025 को समय 10:00 बजे रात अपने दरवाजे के पास खड़ा था तभी गांव के ही मथुरा पुत्र राधे यादव आया और मेरे पुत्र का शर्ट फाड़ दिया, तो प्रार्थिनी ने कहा कि भैया हम लोग गरीब आदमी है, होली ऐसे थोड़े मनायी जाती है, इतने में मथुरा प्रार्थिनी को मादरचोद भोषड़ी वाली की गाली देने लगा और मारने के लिए दौड़ा, तब तक आस-पास के लोग इकट्ठा हो गये और बीच-बचाव कर दिये। दूसरे दिन दिनांक 15.03.2025 को समय करीब 07:00 बजे सुबह प्रार्थिनी अपने घर के अन्दर जानवरों का गोबर बटोर (इकट्ठा) कर रही थी, तभी मथुरा पुत्र राधे यादव निवासी ग्राम घूरी, थाना चरवा, जनपद कौशाम्बी प्रार्थिनी के घर के अन्दर घुस आया और कहा कि अब बता पासिन मादरचोद कल ज्यादा बात कर रही थी और हांथ में लिए डण्डे से प्रार्थिनी को मारने लगा। प्रार्थिनी चिल्लायी तो प्रार्थिनी के पति चन्दर भारतीया व प्रार्थिनी की बहू अनीता व आस-पास के बहुत से लोग शोरगुल की आवाज सुनकर मौके पर आ गये तब मथुरा गाली-गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। मारपीट से प्रार्थिनी के पीठ व दाहिने हांथ व उंगली में चोटें आयी और प्रार्थिनी के नाक की पुल्ली टूट गयी। प्रार्थिनी ने इस घटना की सूचना उसी दिन दिनांक 15.03.2025 को ही थाना चरवा, जनपद कौशाम्बी में दिया, परन्तु आज तक न मुल्जिम के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गयी और न ही प्रार्थिनी को मारपीट में आयी चोटों का डाक्टरी मुआयना कराया गया। दिनांक 18.03.2025 को थानाध्यक्ष चरवा कौशाम्बी व क्षेत्राधिकारी (पुलिस) चायल कौशाम्बी व श्रीमान पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी व अध्यक्ष महिला आयोग नई दिल्ली को जरिए रजिस्टर्ड डाक प्रार्थना पत्र दिया तथा दिनांक 18.03.2025 को माननीय मुख्यमंत्री उ०प्र० शासन लखनऊ को पोर्टल में दिया जिसका सन्दर्भसं0 40017425005904 है, परन्तु आज तक मुल्जिम के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस प्रकार विपक्षी को तलब कर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की याचना की गयी है।

03 परिवादिनी की ओर से अपने कथनों के समर्थन में अन्तर्गत धारा- 223 बी.एन.एस.एस. के तहत स्वयं का बयान पी.डब्ल्यू-1 के रूप में व पी0 डब्लू-2 के रूप में अनीता देवी एवं पी0 डब्लू-3 के रूप में साक्षी रामचन्द्र का बयान अंकित कराया गया।

04. परिवादिनी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 223 बी.एन.एस.एस. में कथन की है कि *"प्रार्थिनी का पुत्र अरुण कुमार ,उम्र सोलह वर्ष दिनांक 14.03.2025 को समय दस बजे रात को अपने दरवाजे के पास खड़ा था। तभी गांव के ही मथुरा यादव पुत्र राधे यादव आया और मेरे पुत्र का शर्ट*

फाड़ दिया तो प्रार्थिनी ने कहा कि भईया हम लोग गरीब आदमी है , होली ऐसे थोडी मनायी जाती है । इतने में मथुरा प्रार्थिनी को मादरचोद गाली देने लगा और मारने के लिए दौडा, तब आसपास के लोग इकट्ठा हो गये और बीच बचाव कर दिए। इसी बात को लेकर दूसरे दिन दिनाक 15.03.2025 समय करीब सात बजे सुबह प्रार्थिनी अपने घर के अंदर जानवरो का गोबर बटोर (इकट्ठा) कर रही थी। तभी मथुरा निवासी गांव के ही प्रार्थिनी के घर के अंदर घुस आया और कहा कि अब बता पासिन मादरचोद कल ज्यादा बात कर रही थी और हाथ में लिए डण्डे से मारने लगा। प्रार्थिनी चिल्लाई तो प्रार्थिनी के पति चंदर भारतीया व प्राथर्थीनी की बहू अनीता व आसपास के बहुत से लोग शोर गुल की आवाज सुनकर मौके पर आ गये तब मथुरा गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। मार पीट में प्रार्थिनी के पीठ व दाहिने हाथ व उगुंली में चोटे आयी है। और प्रार्थिनी के नाक की पुल्ली टूट गयी है। घटना की सूचना उसी दिन थाना चरवा में दिया परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई न ही चोटो का मुआयना कराया गया और प्रार्थिनी ने दिनांक 18.03.2025 को पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी अध्यक्ष महिला आयोग नई दिल्ली व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को प्रार्थना पत्र दिया, परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई तथा मैंने न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया ।"

5. विपक्षी द्वारा आपत्ति दाखिल कर कथन किया गया है कि परिवादी द्वारा झूठे एवं मनगढ़न्त तथ्यों पर प्रार्थनापत्र 173 (4) बी०एन०एस०एस० के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था, परन्तु घटना झूठी एवं निराधार पायी गयी, तब उक्त प्रार्थनापत्र को परिवाद के रूप में दर्ज कर लिया गया। परिवादी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, और उसके द्वारा गांव के कुछ आराजक तत्वों के बहकावे में आकर एवं हरिजन एक्ट में मिलने वाली धनराशि का लाभ प्राप्त करने की बदनीयती से आपत्तिकर्ता के विरूद्ध झूठी कहानी बनाकर पहले तो पुलिस विभाग में प्रार्थनापत्र दिया, परन्तु पुलिस विभाग जॉच किया गया तो घटना झूठी पायी गयी, एवं पुलिस में भी घटना झूठी होने बाबत पुलिस द्वारा अपनी आख्या मा० न्यायालय में प्रस्तुत की गयी थी। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद को निरस्त करने की याचना की गयी है।

06. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादिनी द्वारा विपक्षी पर गाली-गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी देने का आक्षेप लगाया गया है। परिवादिनी द्वारा कथन किया गया है कि मारपीट में प्रार्थिनी के पीठ व दाहिने हांथ व उंगली में चोटें आयी है और प्रार्थिनी के नाक की पुल्ली टूट गयी, परन्तु परिवादिनी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में कोई भी मेडिकल प्रपत्र दाखिल नहीं किया गया है। विपक्षी द्वारा आपत्ति दाखिल कर अपने आपत्ति में कथन किया गया है कि परिवादी अनुसूचित जाति की है, और उसके द्वारा गांव के कुछ आराजक तत्वों के बहकावे में आकर एवं हरिजन एक्ट में मिलने वाली धनराशि का लाभ प्राप्त करने की बदनीयती से आपत्तिकर्ता के विरूद्ध झूठी कहानी बनाकर पहले तो पुलिस विभाग में प्रार्थनापत्र दिया, परन्तु पुलिस विभाग जॉच किया गया तो घटना झूठी पायी गयी। संबंधित थाने द्वारा भी इस आशय की आख्या प्रस्तुत की गयी है कि *"दिनांक 14.03.2025 को होली का त्योहार था। आवेदिका का पुत्र अरूण कुमार होली खेल रहा था, उसी समय गॉव का मथुरा*

आया और आवेदिका के पुत्र को होली के रंग-गुलाल लगाने लगा और आस-पास खड़े लोगो द्वारा कपड़ा फाड़ होली होने लगी। एक-दूसरे के सभी शर्ट बनियान फाड़ने लगे। इसी बात को लेकर आवेदिका विपक्षी मथुरा से नाराज हो गयी और गाली गलौज करने लगी। सभी लोगों ने मना किया कि आज होली है, आवेदिका नहीं मानी और गाली-गुप्ता, जान से मारने की धमकी व नाक पुल्ली टूट जाने के संबंध में मनगढ़न्त आरोप बनाकर प्रार्थना पत्र दी है। आवेदिका के पति का कहना है कि मेरी पत्नी एक झगड़ालू प्रवृत्ति की महिला है, जो अनायास त्योहार के दिन झगड़ा कर रही है। आवेदिका द्वारा लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं हो रही है।" यह भी उल्लेखनीय है कि परिवादिनी द्वारा चोट आना बताया गया है, परन्तु उक्त कथन के समर्थन में परिवादिनी द्वारा न तो कोई मेडिकल कराया गया है और न ही पत्रावली पर कोई मेडिकल प्रपत्र दाखिल किया गया है। परिवादिनी द्वारा जिन साक्षियों के बयान अंकित कराये गये है, वे सभी एक ही परिवार के है, किसी भी स्वतन्त्र साक्षी का बयान अंकित नहीं कराया गया है, बजाय इसके कि घटना होली के त्योहार के दिन घटित होना बताया गया है, जहां बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों के आधार पर परिवादिनी द्वारा लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। आवेदिका/परिवादिनी द्वारा लगाये गये सम्पूर्ण आरोप बेबुनियाद, तथ्यहीन व मनगढंत प्रतीत होते हैं। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व बयानों के आधार पर घटना संदिग्ध प्रतीत होती है।

07. अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर इस न्यायालय के मत में विपक्षी के विरूद्ध प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता प्रतीत नही होता है। विपक्षी को तलब किये जाने हेतु पर्याप्त आधार नही है। तद्नुसार, प्रस्तुत परिवाद अन्तर्गत धारा-226 बी.एन.एस.एस. में खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद अन्तर्गत धारा-226 बी.एन.एस.एस. में खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

(अमित मालवीय)
विशेष न्यायाधीश/
एस.सी./एस.टी.एक्ट,कौशाम्बी।
I.D.NO-U.P.6214

Digitally signed by AMIT MALAVIYA
Date: 2026.07.27 17:33:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court